राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–30 (लो0सू0अ0) / 2022–23

श्री रामाधार सिंह, ग्राम+पोस्ट–नोआवॉ, शकुराबाद, जहानावाद

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
30.06.2022	श्री रामाधार सिंह, ग्राम+पोस्ट–नोआवॉ, शकुराबाद, जहानावाद के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–शुन्य इस कार्यालय में दिनांक–30.06.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–58F 977823 दिनांक–12.05.2022 संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री रामाधार सिंह ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–18.05.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–18.05.2022 की प्रति संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–18.05.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–.15.07.2022 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 30/6/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या–29 / 2021–22

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
15.07.2022	दिनांक–30.06.2022 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। लोक सूचना पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उन्होंने अपीलार्थी द्वारा माँगी गई सूचना को लोक सूचना पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया–824234 से संबंधित होने के कारण अपने पत्रांक–143 दिनांक–25.05.2022 द्वारा प्रपत्र 'ड.' के माध्यम सेहस्तांतरित कर दिया था तथा इसकी सूचना अपीलार्थी को भी दी थी। अपीलार्थी श्री रामाधार सिंह, ग्राम+पोस्ट–नोआवाँ, शकुराबाद, जहानावाद द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष यह अपील इस आधार पर दायर की गई है कि लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है। विदित हो कि लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय ने जब अपीलार्थी से प्राप्त प्रपत्र 'क' दिनांक–18.05.2022 में माँगी गई सूचना मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबंधित होने के कारण इसे लोक सूचना पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा इसकी सूचना अपीलार्थी को भी भेजी गई है। उक्त के आलोक में अपीलार्थी को प्रथम अपीलीय प्राधिकार, मगध विश्वविद्यालय के समक्ष प्रथम अपील दायर करना चाहिए था, चूंकि माँगी गई सूचना लोक सूचना पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के स्तर से दिया जाना है। विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में। अपीलार्थी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष यह प्रथम अपील दायर किया है। अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। तदनुसार सभी संबंधित को सूचित करें। 15/7/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या–29 / 2021–22

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
15.07.2022	दिनांक–30.06.2022 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। लोक सूचना पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उन्होंने अपीलार्थी द्वारा मॉगी गई सूचना को लोक सूचना पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया–824234 से संबंधित होने के कारण अपने पत्रांक–143 दिनांक–25.05.2022 द्वारा प्रपत्र 'ड़.' के माध्यम सेहस्तांतरित कर दिया था तथा इसकी सूचना अपीलार्थी को भी दी थी। अपीलार्थी श्री रामाधार सिंह, ग्राम+पोस्ट–नोआवॉ, शकुराबाद, जहानावाद द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष यह अपील इस आधार पर दायर की गई है कि लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है। विदित हो कि लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय ने जब अपीलार्थी से प्राप्त प्रपत्र 'क' दिनांक–18.05.2022 में मॉगी गई सूचना मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबंधित होने के कारण इसे लोक सूचना पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा इसकी सूचना अपीलार्थी को भी भेजी गई है। उक्त के आलोक में अपीलार्थी को प्रथम अपीलीय प्राधिकार, मगध विश्वविद्यालय के समक्ष प्रथम अपील दायर करना चाहिए था, चूंकि मॉगी गई सूचना लोक सूचना पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के स्तर से दिया जाना है। विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में। अपीलार्थी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष यह प्रथम अपील दायर किया है। अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। तदनुसार सभी संबंधित को सूचित करें। 15/7/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक– 873/रा० (स०(iii)) दिनांक– 18-07-2022

प्रतिलिपिः– लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / श्री रामाधार सिंह, ग्राम+पोस्ट–नोआवॉ, शकुराबाद, जहानावाद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/7/2022

विशेष कार्य पदाधिकारी